पत्रांक .यूपीएए / 04 / 1 / 103 / 9–2015
दिनाकः– 28.09.2015

सेवा में ,
माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषयः– **<u>परामर्शी वास्तुविद्ों की सेवा शर्तो के मानकीकरण के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय,

नगर, प्रदेश अथवा राष्ट्र की अन्तरराष्ट्रीय पहचान बनाने में वास्तुकला का सदैव से विशेष योगदान रहा है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा वृहत स्तर पर निर्माण तथा विकास कार्य विभिन्न योजनाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें वास्तुकला से सम्बन्धित कार्य भी उल्लेखनीय स्तर पर सम्मिलित है। सरकार में कार्यरत वास्तुविद्ों के अथक प्रयासों के बावजूद भी भवनों की परिकल्पना में परामर्शी वास्तुविद्ों का सहयोग लेना अपरिहार्य हो गया है, जिसके लिए सरकार की ओर से इन सेवाओं के लिए कोई मानकीकरण (सेवा शर्ते एवं न्यूनतम परामर्श शुल्क इत्यादि) नहीं हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार परामर्शी शुल्क निविदा प्रक्रिया के आधार पर तय किये जाते हैं। सामान्यतः निविदा प्रक्रिया निर्माण कार्यो में ठेकेदार के निर्धारण अथवा सामान क्रय करने के लिए अपनाई जाती है। वास्तुकला मूलतः एक ललित कला होने के कारण इसकी व्यवसायिक सेवाओं (Professional Sevices) में निविदा प्रक्रिया अच्छे परिणाम नहीं ला सकती है। जिस राष्ट्र की वास्तुकला क्षेत्र में एक गौरवशाली विरासत हो वहां पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समय में वास्तुकला की किसी परम्परा के न पनपने के कारणों में यह भी एक बड़ा कारण है, क्यों कि इस रचनात्मक कार्य में लगने वाले समय तथा ऊर्जा का उचित मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार की सेवाओं में मानवीय गुणों का भी अत्यधिक महत्व होता है। अतः जहां पर मानवीय गुणों पर आधारित कार्य होना हो वहां पर कार्य की गुणवत्ता मानवीय गुणों से सीधे–सीधे प्रभावित होती है। व्यावसायिक दक्षता (Professinoal Competency) तथा ईमानदारी दोनों ही मानवीय गुणों से सम्बन्ध रखते है। अतः व्यावसायिक सेवाओं को केवल वित्तीय आधार पर तौलने के कारण आपेक्षित परिणाम नही आ पा रहे हैं।

तकनीकी विकास के कारण भवनों की परिकल्पना में भी बदलाव आया हैं, तथा उसकी प्रक्रिया तकनीकी रूप से अधिक जटिल हो गई है, जैसे कि भूकम्परोधी प्रावधान, पर्यावरणीय प्रावधान, सूचना प्रौद्योगिकी प्रावधान इत्यादि अब नए आयाम जुड़ गए हैं। उ0 प्र0 जैसे राज्य में वर्तमान में 1.50 प्रतिशत फीस (सेवा कर सहित) सरकारी परियोजनाओं हेतु निर्धारित हैं, जो कि सेवा कर घटा कर 1.29 प्रतिशत रह जाती है। परियोजना में अन्य तकनीकी विषेशज्ञों यथा स्ट्रक्चरल अभियन्ता, विद्युत अभियन्ता, जल एवं मल निस्तारण अभियन्ता तथा अन्य विशेषज्ञों की परामर्श शुल्क भी इसी 1.29 प्रतिशत में समावेषित है। अतः परामर्शी वास्तुविद् की शुल्क का अंश अतिन्यून हो गया है। जिसके परिणाम स्वरूप परामर्शी वास्तुविद्ों द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा देने में अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हो गयी है। भवन परिकल्पना एवं निर्माण के साथ अन्य तकनीकी अनुषांगिक सेवाओं में भी आर्थिक दृष्टिकोण से समन्वय नही हो पा रहा

है, जिसके परिणाम स्वरूप विकास कार्यो में भारी निवेश का दूरगामी परिणाम मिलना संदिग्ध हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के निर्माण कार्यो की आयु सीधे–सीधे प्रभावित होती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि राष्ट्र में हो रहे विकास में तकनीकी सेवाओं को और अधिक गुणवत्तापूर्ण, प्रभावी, एवं सुदृढ़ बनाने हेतु मानकीकरण कर सेवा शर्तो एवं परामर्श शुल्क को सुसंगत करने की कृपा करें। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त हेतु वास्तुकला परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम फीस के मापदण्ड गुणवत्ता के साथ कार्य सम्पादन के आधार पर तैयार किए गए है। अतः उक्त का संज्ञान लिया जा सकता है। वास्तुविद की सेवाओं का महत्व एवं परामर्श शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में, भारत के पूर्व वैज्ञानिक श्री होमी जहॉगीर भाभा का तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ भाभा परमाणु संयंत्र, पुने की स्थापना के लिए वास्तुविदीय सेवाओं से सम्बन्धित पत्राचार विचारणीय है जिसमें निविदा प्रक्रिया को वास्तुविदीय सेवाओं के लिए न्याय संगत नहीं माना गया है।

आपके द्वारा अन्य क्षेत्रों में लिए जा रहे दूरगामी निर्णयों से इस बात की आशा बंधती है कि बहुप्रतीक्षित इस प्रकरण पर भी आपकी ओर से सार्थक पहल हो सकेगी। साथ ही केन्द्र द्वारा मानकीकरण कर सेवा शर्तों के निर्धारण कर देने से सभी राज्यों में भी एक रूपता आ सकेगी तथा अलग–अलग सरकारी संस्थाओं द्वारा भिन्न–भिन्न मापदण्डों के अनुसार कार्य करने से उत्पन्न जटिलताओं का भी निराकरण हो सकेगा। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, नगर विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, भारतीय भवन संहिता इत्यादि विभागों ने वास्तुविदीय सेवाओं से सम्बन्धित भिन्न–भिन्न विरोधाभाषी परिभाषाऐं एवं मापदण्ड अपनाये हुए है। अतः आपसे निवेदन है कि निम्न लंम्बित प्रक्रियाओं में शीध्रता हेतु हस्तक्षेप करने का कष्ट करें–

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय में वास्तुविद् अधिनियम 1972 में संसोधन प्रस्ताव में।
2. वाणिज्य मंत्रालय की अगुवाई में वास्तुविदीय सेवाओं के मानकीकरण से सम्बन्धित गठित अंतर मंत्रालय समूह (लगभग 6 मंत्रालय) को निर्णायक गति देने में।

उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट एसोसिएशन हर प्रकार के सहयोग के लिए सदैव तत्पर है

सादर।
भवदीय

राजीव द्विवेदी
अध्यक्ष